ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक :-3प/मु०म०नि०यो०-19-34/2020/5439/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 16/9/2021

विषय :- **पंचायती राज विभाग अंतर्गत कार्यरत् संविदा आधारित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के कार्य आधारित ग्रेडिंग एवं तत्संबंधी समीक्षा के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप आवगत हैं कि विभागीय योजनाओं एवं अन्य सौंपे गये वित्तीय प्रबंधन के दायित्वों के निर्वहन हेतु लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक का संविदा आधारित नियोजन किया गया है। विभागीय योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन, अंकेक्षण एवं उनके उपयोगिताजनित कार्यों की उपलब्धि के आधार पर विभाग एवं राज्य सरकार की छवि परिलक्षित होती है।

उपरोक्त प्रयोजन के अनुक्रम में यह वांछनीय है कि उन विभागीय योजनाओं जिनके लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनावार/मदवार राशि उपलब्ध करायी जाती है, का अंकेक्षण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, ई-ग्राम स्वराज योजना अंतर्गत भुगतान की व्यवस्था एवं वार्ड क्रियान्चयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) को ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान राशि के हस्तांतरण को सूचीबद्ध करते हुए ग्रेडिंग की व्यवस्था सुस्थापित की जाये।

संदर्भित है कि अंकेक्षकों को सौंपे गये कार्य दायित्व के लिए विभाग द्वारा निम्नवत् ग्रेडिंग की व्यवस्था स्थापित किया जाना है।

क्र०	कार्य दायित्व का नाम	अनुमान्य ग्रेडिंग का प्रतिशत	लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों का कार्य दायित्व अनुरूप प्राप्त ग्रेडिंग का प्रतिशत
1	ऑडिट की पूर्णता का प्रतिशत	30 प्रतिशत	
2	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र (U/C) का प्रतिशत	30 प्रतिशत	
3	ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी सहयोग/प्रशिक्षण	20 प्रतिशत	
4	ग्राम पंचायतों के द्वारा WIMC को उपलब्ध कराये गये अनुदान राशि का प्रतिशत।	20 प्रतिशत	

वर्णित बिन्दुओं के आलोक में विभागीय स्तर से जिलों द्वारा प्रेषित लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों से संबंधित समेकित ग्रेडिंग प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी। उनके कार्यों का ब्यौरा ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों के द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। जो लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों को मात्र अवलोकनार्थ द्रष्टव्य होगी। यदि किसी बिन्दु पर किसी लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक को कोई आपत्ति होती है तो उक्त संबंध में संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। जो जांचोपरान्त विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जायेगी एवं उन्हें परिणाम आधारित सुधार (Edit) की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि उनके द्वारा अपेक्षानुरूप ग्रेडिंग अंक प्राप्त नहीं की जा सकेगी, तो उन्हें एक अवसर देते

क्र०पृ०उ०...

E:\Sashi (Sec-03)\2019 sashi (P.K.V)\Anil Sir\Letter.docx 130

हुए कार्य में अपेक्षित सुधार हेतु निर्धारित समय दिया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित समयानुरूप यदि कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं किया जाता है तो विभागीय समीक्षा के आलोक में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

तद्लोक में अनुरोध है कि वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुपालन सुनिश्चित करायी जाये।

विश्वासभाजन

14/9/21

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक :–3प/मु०म०नि०यो०–19–34/2020/5439/पं०रा० पटना, दिनांक 16/9/2021
प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/9/21

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक